भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3828

सोमवार, 24 मार्च, 2025/03 चैत्र, 1947 (शक)

प्रवासी मजदूरों का कल्याण

3828. श्री सुरेश कुमार शेटकर:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि**:**

(क) क्या प्रवासी मजदूरों की निगरानी के लिए आंकड़े संकलित करने तथा एक समर्पित सॉफ्टवेयर विकसित करने की आवश्यकता है;

(ख) क्या राज्यों के लिए एक सॉफ्टवेयर विकसित करने की आवश्यकता है जिससे राज्य प्रवासी मजदूरों को लाने वाली अपंजीकृत कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई कर सके और साथ ही प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने वाले उद्योगों के संबंधित अधिकारियों के संपर्क नंबर और कार्यालय का पता तथा उनके आवास के लिए मानदंड और मानक वाली एक पुस्तिका हो;

(ग) क्या सरकार को मजदूरी और मुआवजे के साथ-साथ अन्य बातों का भी ध्यान रखना चाहिए और प्रत्येक औद्योगिक क्षेत्र में प्रवासी श्रमिकों के लिए एक समर्पित अधिकारी की नियुक्ति भी की जानी चाहिए;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा वर्तमान स्थिति क्या है;

(ड.) क्या प्रवासी मजदूरों के खिलाफ गलत सूचना अभियानों से निपटने के लिए प्रभावी कानून बनाने की आवश्यकता है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वर्तमान स्थिति क्या है तथा इस संबंध में प्रत्येक राज्य के क्या विचार है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (च) : प्रवासी कामगारों के हितों की रक्षा के लिए अंतरराज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन एवं सेवा शर्त) अधिनियम, 1979 अधिनियमित किया गया है।

जारी पृष्ट/2----

इस अधिनियम में अंतर्राज्यीय प्रवासी कामगारों को रोजगार देने वाले कुछ प्रतिष्ठानों के पंजीकरण, ठेकेदारों को लाइसेंस देने आदि के उपबंध हैं। ऐसे प्रतिष्ठानों में कार्यरत कामगारों को न्यूनतम मजदूरी, यात्रा भत्ता, विस्थापन भत्ता, आवासीय सुविधा, चिकित्सा सुविधाएं और संरक्षात्मक पहनावा आदि प्रदान किए जाने हैं।

इस अधिनियम को व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति (ओएसएच) संहिता, 2020 में समाहित कर लिया गया है। ओएसएच संहिता में मानक कार्य स्थिति, न्यूनतम मजदूरी, शिकायत निवारण तंत्र, प्रवासी कामगारों के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन की व्यवस्था की गई है।

श्रम और रोजगार मंत्रालय ने प्रवासी कामगारों समेत असंगठित कामगारों (एनडीयूडब्ल्यू) का आधार से जुड़ा एक व्यापक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने के लिए दिनांक 26 अगस्त 2021 को ई-श्रम पोर्टल (eshram.gov.in) शुरू किया है। ई-श्रम पोर्टल का उद्देश्य असंगठित कामगारों को स्व-घोषणा के आधार पर यूनिवर्सल एकाउंट नंबर (यूएएन) प्रदान करके उनका पंजीकरण करना और सहायता करना है। ई-श्रम पोर्टल पर असंगठित कामगारों की विभिन्न श्रेणियों के पंजीकरण के लिए यह पोर्टल राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उपलब्ध कराया गया है। ई-श्रम पर दिनांक 19.03.2025 तक की स्थिति अनुसार प्रवासी कामगारों समेत 30.71 करोड़ से अधिक असंगठित कामगार पंजीकृत हैं।

कर्मकार प्रतिकार अधिनियम, 1923, में अन्य बातों के साथ-साथ, रोजगार के दौरान होने वाली चोट और दुर्घटना के मामले में जिसके परिणामस्वरूप निःशक्तता या मृत्यु हो जाती है, कर्मचारियों और उनके आश्रितों को प्रतिपूर्ति के भुगतान के उपबंध हैं, इस अधिनियम का क्रियान्वयन राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है।

*****